अनुदान संख्या 98 – युवा मामले और खेल मंत्रालय
GRANT No. 98 - MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	1542,00,00	1756,87,00	1561,50,40	-195,36,60
पूरक	Supplementary	214,87,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				190,79,11
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		50,00,00	14,69,45	-35,30,55
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				35,30,55

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹19536.60 लाख) अगस्त, 2016 और मार्च, 2017 में प्राप्त किए गए ₹21487.00 लाख के पूरक अनुदान का 91 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹19536.60 lakhs) constituted 91 percent of the supplementary grants of ₹21487.00 lakhs obtained in August, 2016 and March, 2017 and 11 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2204"	Major Head "2204"				
खेलकूद तथा युवा सेवाएं	Sports and Youth Services				
मू.	O.	138467.00			
पू.	S.	21487.00	154010.94	153553.44	-457.50
पु.	R.	-5943.06			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “2552”	Major Head “2552”				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	13133.00			
			0.01	..	-0.01
पु.	R.	-13132.99			

(I) ₹13303.00 लाख का प्रावधान सत्रह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹13010.00 लाख मुख्य शीर्ष “2552” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹13303.00 lakhs remained wholly unutilized under seventeen heads; of these ₹13010.00 lakhs accounted for under Major Head “2552” - under the following heads:-

(का) “खेलकूद और युवा सेवाएं – निदेशन और प्रशासन – नेहरू युवा केन्द्र संगठन” – ₹1700.00 लाख;

(A) “Sports and Youth Services - Direction and Administration - Nehru Yuva Kendra Sangathan”- ₹1700.00 lakhs;

(खा) “खेलकूद और युवा सेवाएं – छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम” –

(B) “Sports and Youth Services - Youth Welfare programme for Students”-

(क) “राष्ट्रीय सेवा स्कीम” – ₹1200.00 लाख;

(a) “National Service Scheme” - ₹1200.00 lakhs;

(ख) “राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम” – ₹350.00 लाख;

(b) “National programme for Youth and Adolescent Development”- ₹350.00 lakhs;

(ग) “राष्ट्रीय युवा कोर” – ₹376.00 लाख;

(c) “National Youth Corps”- ₹376.00 lakhs;

(गा) “खेलकूद और युवा सेवाएं – गैर–छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम” –

(C) “Sports and Youth Services-Youth Welfare Programme for Non Students”-

(क) “राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान” – ₹227.00 लाख;

(a) “Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development”- ₹227.00 lakhs;

(ख) “युवा नेता कार्यक्रम” – ₹1000.00 लाख;

(b) “Young Leader Programme”- ₹1000.00 lakhs;

(घा) “खेलकूद और युवा सेवाएं – खेलकूद और खेल” –

(D) “Sports and Youth Services - Sports and Games”-

(क) “भारतीय खेल प्राधिकरण” – ₹3500.00 लाख;

(a) “Sports Authority of India”- ₹3500.00 lakhs;

(ख) "लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान" – ₹2500.00 लाख; और

(ग) "खेलो इंडिया" – ₹2517.00 लाख।

उपर्युक्त नौ शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2204" – "खेलकूद और खेल – खेल उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए सहायता" – ₹14100.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹21485.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹35585.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो ब्रिक्स यू–17 फुटबॉल टूर्नामेंट के आयोजन के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और 36वें राष्ट्रीय खेलों को अगले वर्ष के लिए स्थगित किए जाने के कारण ₹4075.85 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष "2204" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "युवा छात्र कल्याण कार्यक्रम" –

(क) "पुनर्विन्यास और अनुसंधान केंद्र" – ₹161.56 लाख की बचत (₹400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने और पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(ख) "राष्ट्रीय युवा विकास और किशोर कार्यक्रम" – ₹1072.70 लाख की बचत (₹2296.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति कम होने के कारण हुई।

(खा) "गैर–छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम" –

(क) "राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान को अनुदान" – ₹195.34 लाख की बचत (₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹2641.50 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अवसंरचना से संबंधित कार्य की धीमी प्रगति होने और व्यवहार्य

(b) "Laxmibai National Institute of Physical Education"- ₹2500.00 lakhs; and

(c) "Khelo India"- ₹2157.00 lakhs.

Provisions under the above nine heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2204" - "Sports and Games - Assistance to Promotion of Sports Excellence"- the original provision of ₹14100.00 lakhs was augmented to ₹35585.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹21485.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹4075.85 lakhs - due to requirement of less funds towards organizing of BRICS U-17 Football Tournament and postponement of 36th National Games to next year.

(III) Under Major Head "2204"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Youth Welfare Programmes for Students"-

(a) "Reorientation and Research Centre (NSS)"- saving of ₹161.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹400.00 lakhs) was due to receipt of less proposals and availability of unspent balance of previous year.

(b) "National Programme for Youth Development and Adolescent"- saving of ₹1072.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2296.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals.

(B) "Youth Welfare Programmes for Non Students"-

(a) "Grants to Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development"- saving of ₹195.34 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2641.50 lakhs including token supplementary grant of ₹0.50 lakh) was due

प्रस्ताव कम प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) "युवा नेता कार्यक्रम" – ₹4841.08 लाख की बचत (₹6560.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(गा) "अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना" –

(क) "खेलकूद और युवा सेवाएं – गैर–छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम" – ₹335.30 लाख की बचत (₹1024.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) "युवा नेता कार्यक्रम" – ₹1345.00 लाख की बचत ₹1620.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घा) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना" –

(क) "खेलकूद और युवा सेवाएं – गैर–छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम" – ₹125.06 लाख की बचत (₹489.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुईं।

(ख) "युवा नेता कार्यक्रम" – ₹642.51 लाख की बचत (₹820.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति देर से होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(ङ) "खेलकूद और खेल" –

(क) "खिलाड़ियों को प्रोत्साहन" – ₹874.80 लाख की बचत (₹3200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण बिल को मंजूरी न दिए जाने के कारण हुई।

(ख) "जम्मू और कश्मीर में खेलकूद सुविधाओं की वृद्धि" – ₹3500.00 लाख की बचत (₹7500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य में अशांति होने की वजह से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

to slow progress of infrastructure relating work and less receipt of viable proposals.

(b) "Young Leader Programme"- saving of ₹4841.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6560.00 lakhs);

(C) "Special Component Plan for Scheduled Caste"-

(a) "Sports and Youth Services - Youth Welfare Programmes for Non Students"- saving of ₹335.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1024.00 lakhs);

(b) "Young Leader Programme"- saving of ₹1345.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1620.00 lakhs); and

(D) "Tribal Area Sub-Plan"-

(a) "Sports and Youth Services - Youth Welfare Programmes for Non Students"- saving of ₹125.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹489.00 lakhs).

Savings under the above four heads were due to less receipt of viable proposals.

(b) "Young Leader Programme"- saving of ₹642.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹820.00 lakhs) was due to late receipt of viable proposals and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(E) "Sports and Games"-

(a) "Incentive to Sports Persons" - saving of ₹874.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3200.00 lakhs) was due to non-sanction of Direct Benefit Transfer Bill.

(b) "Enhancement of Sports Facility at J&K"- saving of ₹3500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7500.00 lakhs) was due to receipt of less proposals owing to disturbance in the State.

(चा) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवा प्रतिनिधिमंडल का आदान–प्रदान" – ₹126.16 लाख की बचत (₹850.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आदान–प्रदान कार्यक्रम के मूर्तरूप न लेने के कारण हुई।

(F) "International Cooperation-Exchange of Delegation of Youth at International Level"- saving of ₹126.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹850.00 lakhs) was due to non-materialization of exchange programme.

(IV) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹169.00 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक किंतु ₹100.00 लाख से कम तथा स्वीकृत प्रावधान का 17 प्रतिशत और 19 प्रतिशत थीं।

(IV) Under two heads savings of ₹169.00 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 17 percent and 19 percent of the sanctioned provision.

2. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹9343.40 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष "2204" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

2. (I) The above savings were partly (₹9343.40 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs under Major Head "2204" - under the following heads:-

(का) "निदेशन और प्रशासन – नेहरू युवा केन्द्र संगठन" – ₹2675.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹2674.30 लाख था।

(A) "Direction and Administration - Nehru Yuva Kendra Sangathan"- ₹2675.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2674.30 lakhs.

(खा) "गैर–छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम – राष्ट्रीय युवा कोर" – ₹876.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹875.80 लाख था।

(B) "Youth Welfare Programmes for Non Students - National Youth Corps"- ₹876.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹875.80 lakhs.

(गा) "खेलकूद और खेल – भारतीय खेल प्राधिकरण" – ₹5690.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹5689.80 लाख था।

(C) "Sports and Games - Sports Authority of India"- ₹5690.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹5689.80 lakhs.

(घा) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग" – एनवाईकेएस और एनएसएस को सुदृढ़ करने के लिए यूएनवी परियोजना – बाह्य रूप से सहायताप्राप्त संघटक" – ₹102.40 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹102.21 लाख था।

(D) "International Cooperation - UNV Project for strengthening NYKS and NSS - Externally aided component"- ₹102.40 lakhs. Actual excess, however, was ₹102.21 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2204" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:–

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2204" - under the following heads:-

(का) "शारीरिक शिक्षा – लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर" – ₹1269.00 लाख का अधिक व्यय (₹3191.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(A) "Physical Education - Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior"- excess of ₹1269.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3191.00 lakhs); and

(खा) "छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम – एनएसएस के कार्यान्वयन के लिए अनुदान" – ₹629.46 लाख का अधिक व्यय (₹10400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(B) "Youth Welfare Programmes for Students - Grants for Implementation of NSS"- excess of ₹629.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10400.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4202"	Major Head "4202"				
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture				
मू.	O.	135.00	1469.45	1469.45	..
पु.	R.	1334.45			
मुख्य शीर्ष "4552"	Major Head "4552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	4865.00	..	..	..
पु.	R.	-4865.00			

(I) ₹4865.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹4850.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "4552" – "शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय – अन्य व्यय–उत्तर पूर्व में खेलकूद विश्वविद्यालय" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹4865.00 lakhs remained wholly unutilized under two heads; of these ₹4850.00 lakhs alone accounted for under Major Head "4552" - "Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture - Other Expenditure - Sports University in North East"- due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "4202" – "खेलकूद और युवा सेवाएं – अन्य व्यय – राष्ट्रीय खेल संस्थान" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं –

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head "4202" - "Sports and Youth Services - Other Expenditure - National Institute of

₹1340.00 लाख का अधिक व्यय (₹60.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “4552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Sports”- excess of ₹1340.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹60.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head “4552” to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.